



ई-मेल द्वारा प्राप्त

संज्ञा

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

संख्या
24/8/25

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

संख्या-1861 / एस0टी0-डी0एम0 / 2025

दिनांक-25 अगस्त, 2025

आदेश

देखने में आ रहा है कि विभागाध्यक्षों द्वारा जो पत्रावलियों अधोहस्ताक्षरी के आदेश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है, उन पत्रावलियों पर विभाग का नाम, विषय, कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा अपने नाम व पदनाम की मोहर नहीं लगायी जा रही है और न ही पत्रावलियों पर पेजिंग तथा वर्ष का उल्लेख किया जा रहा है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- संबंधित विभाग का विभागीय फाइल कवर होगा, जिस पर विभाग का नाम, पत्रावली संख्या, वर्ष एवं विषय अंकित होगा।
- स्टेशनरी की दुकान से फाइल कवर क्रय कर पत्रावली अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कदापि प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
- पत्रावली में दांयी एवं बांयी ओर रक्षित समस्त पृष्ठों की पेजिंग एवं मुख्य पृष्ठों (पत्रालेख, शासनादेश आदि) पर अनिवार्य रूप से पताका चस्पा होगा।
- पत्रावली प्रस्तुत करने वाले संबंधित पटल सहायक से लेकर विभागाध्यक्ष परीक्षणोंपरान्त अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ पत्रावली प्रस्तुत करेंगे।
- पत्रावली के कवर पर विषय बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित किया जायेगा।
- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित अधोहस्ताक्षरी स्तर से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली पत्रावलियों पर संक्षिप्त नोट पृथक से प्रस्तुत किया जायेगा।
- पत्रावलियों पर संबंधित कर्मचारी व अधिकारी के नाम व पदनाम की मोहर अवश्य अंकित की जायेगी।
- पत्रावली सुव्यवस्थित तरीके से भेजी जायेगी।

मुझे आशा है कि समस्त विभागाध्यक्ष उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और किसी भी प्रकार की त्रुटि का अवसर प्रदान नहीं करेंगे। यदि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होना नहीं पाया जायेगा, तो यह माना जायेगा कि विभागाध्यक्ष अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति सजग नहीं है और उनका अपने अधीनस्थों पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं है।

(रविन्द्र कुमार मॉदड़)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- समस्त अपर जिलाधिकारीगण, गाजियाबाद।
- 3- नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उपजिलाधिकारीगण/अपर उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।